<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

अपील/डिक्री/टीए/5604/2004/बाडमेर

1.विशनाराम पुत्र मानाराम

2. गणेश पुत्र मानाराम

समस्त जाति पुरोहित निवासी रानी देशपुरी सिवाना

जिला बाडमेर

अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. सोनराज पुत्र गणेश मृतक जरिये वारिसान–

1/1.परमेश्वर पुत्र सोनराज

1/2. धर्मेन्द्र पुत्र सोनराज

1/3.राजेन्द्र पुत्र सोनराज

1/4. मिमा पुत्री सोनराज

1/5. सन्तोष पुत्री सोनराज

1/6. प्रेम पुत्री सोनराज

1/7. धापू पुत्री सोनराज

2. पुखराज पुत्र गणेश समस्त जाति घाचाी निवासीगण समदडी तहसील सिवाना जिला बाडमेर

3. राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री अभिषेक कौशिक अभिभाषक अपीलार्थी

श्री श्रीनिवास बेनीवाल अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 27.1.2020

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर जैसलमेर मु.जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 6–11–2004 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1व 2 ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा धारा 88 एवं 188 वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया। तत्पचात विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित कुल पांच तनकीयात कायम की और अपने निर्णय दिनांक 23–8–2004 के द्वारा वादीगण का वाद डिक्री किया एवं प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 6–11–2004 से अपील खारिज करदी। इससे व्यथित हेाकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने कायम की गई तनकीयात पर पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार विवेचन कर निर्णय पारित नहीं किया है। वादग्रस्त आराजी वक्त जागीर,जागीरदार जालामण्ड में डोली के रूप में अपीलार्थी

के पिता को दी थी, अपीलार्थी के पिता जागीर के समय से ही सम्पूर्ण आराजी पर डोलीदार के रूप में काबिज काश्त थे। डोली की भूमि जागीरदार द्वारा सिर्फ ब्राहमणों एवं पुरोहितों को दी गई थी। प्रत्यर्थीगण जाति से घांची हैं इस कारण डोली के रूप में उन्हें आराजी नहीं दी जा सकती थी। भू प्रबन्ध के दौरान अपीलार्थी के पिता डोलीदार के रूप में काबिज थे। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत बाई आप्रेशन आफ ला खातेदार हो गये। जिसके फलस्वरूप भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटिलमेन्ट पर्चा व खतौनी बन्दोबस्त में अपीलार्थी के पिता का नाम डोलीदार के रूप में खुदकाश्त के रूप में दर्ज करने के बाबजूद प्रत्यर्थीगण के पिता गणेश का नाम भी 1/2 हिस्से के खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया। जिस राजस्व रेकार्ड को भू प्रबन्ध विभाग को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं था। जबकि सम्बत 2009 व उससे पूर्व पर्चा लगान में वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी के पिता डोलीदार के रूप में दर्ज किये गये हैं। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विधि विरूद्ध निर्णय को अपीलीय न्यायालय ने यथावत कायम रखने में विधिक भूल की है। इसलिये दोनेां अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर अपीलार्थी का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1व 2 ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा धारा 88 एवं 188 वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया। विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री किया है एवं प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज किया है। जिसके विरूद्ध राजस्व

अपील प्राधिकारी के न्यायालय में एवं मण्डल के समक्ष भी एक ही अपील प्रस्तुत की गई है। आदेश 8 नियम 6 सी.पी.सी. 1908 के प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि काउन्टर क्लेम भी एक वाद का ही रूप होता है तथा उस पर वह सभी प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू होते हैं, जो कि किसी वाद में लागू होते हैं। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत एक अपील पोषनीय नहीं थी। अपने कथन के समर्थन में ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1202 'प्रीमियर टायर्स लि0 बनाम केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन' की नजीर पेश की।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में इस बारे में विवाद नहीं है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज करने के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, के समक्ष केवल एक अपील पेश की थी। आदेश 8 नियम 6 सी.पी.सी. 1908 के प्रावधानों के अवलोकन से यह इंगित होता है कि काउन्टर क्लेम भी एक वाद का ही रूप होता है तथा उस पर वह सभी प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू होते हैं, जो कि किसी वाद में लागू होते हैं। ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1202 'प्रीमियर टायर्स लि0 बनाम केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन' के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न मत प्रतिपादित किया गया है–

> "Where no appeal is filed, as in this case from the decree in connected suit it has the same effect of non filing of appeal against a judgment or decree...... Thus the finality of finding recorded in the connected suit, due to non-filing of appeal precluded the Court from preceding with appeal in other suit."

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 1645 'लोनान कुट्टी बनाम थोमन' के मामले में भी यह मत प्रतिपादित किया गया है कि दो वादों के कन्सोलिडेट हो जाने के बाद यदि एक ही निर्णय के द्वारा दोनों वादों का निस्तारण किया जाता है तो ऐसे मामले में भी धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान आकर्षित होंगे। आर. एस.ए.नबंर 14/2015 निर्णय तिथि दिनांक 28-1-15 'गिरिजा वगैरह बनाम राजन वगैरह' के प्रकरण में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी वाद में काउन्टर क्लेम पेश होता है तथा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत होती है, तब ऐसे मामले में धारा 11 सी.पी.सी. में वर्णित पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू हो जायेगा। इस संबंध में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था निम्नानुसार है-

> "From the above discussion, it is discernible that the law stated in Order 8 Rule 6A C.P.C. makes it abundantly clear that the counter claim in a suit will have all the characteristics of a cross suit including the vulnerability of suffering the bar of res-judicata enshrined in section 11 C.P.C., if not properly challenged......Therefore, I find that the question of law arising in this case can only be decided against the appellants, finding that if a defendant who raised a counter claim in a suit, fails both in the suit and in the counter claim, will have to file separate appeals challenging the decree in the suit and the counter claim. Since the appellants in this case failed to do so before the lower appellate court, I am of the view that the first appeal itself was barred by res-judicata."

9. उक्त तीनों मामलों में प्रतिपादित सिद्धांत मौजूदा प्रकरण के तथ्यों पर लागू होते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में भी अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के वाद स्वीकार करने एवं काउन्टर क्लेम को खारिज करने के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई एक ही अपील पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम अपील तय करते समय

इस तथ्यात्मक व विधिक पहलू की तरफ ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण को दो पृथक पृथक अपीलें प्रस्तुत करके ही विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को चुनौती देनी चाहिए थी तथा उनके द्वारा ऐसा नहीं करने से प्रथम अपील पोषणीय ही नहीं थी।

10. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य